न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 82/2021

श्री बाबूलाल दत्तक पुत्र स्व0 श्री किस्तुरा, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलान्ट की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–05.02.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट श्री बाबूलाल दत्तक पुत्र स्व0 श्री किस्तूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2020 की पालना में ग्राम रिछमालिया के खाता संख्या 670 खसरा संख्या नया 68 पुराना 179, 180 व 168/2239 का राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज अपीलान्ट के नाम दर्ज करने बाबत दिनांक 09.09.2020 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश/पत्र दिनांक 16.12.2021 से निरस्त कर दिया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश/पत्र दिनांक 16.12.2021 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड मंगवाया गया। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस हेतु निश्चित दिन पैरोकार सरकार के अनुपस्थित रहने पर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम रिछमालिया स्थित आराजी वर्किंग खाता संख्या 281 नया 307 पुराना खसरा संख्या 195 मिन, 195 मिन, 199 जिसके हाल खाता संख्या 670 नया 68 पुराना खसरा संख्या 179, 180, 168/2239 राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार खातेदार किस्तूरा पुत्र कालू जाति जाट दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो चुका हैं एवं अपीलान्ट श्री किस्तूरा का दत्तक पुत्र है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष राजस्व वाद संख्या 51/2019 बाबूलाल बनाम राजू व राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2020 से अपीलान्ट को उक्त विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। अपीलान्ट ने उक्त निर्णय व डिक्री की पालना कर अपीलान्ट का नाम

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.09.2020 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया किन्तु निर्णय व डिक्री के विपरीत पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.12.2021 के आधार पर उक्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री की पालना की जाकर अपीलान्ट के हक में जरिये नामान्तरकरण वर्तमान राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाना चाहिये था। इस प्रकार तहसीलदार पीसांगन द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के निर्णय की अवमानना की गई है। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास पूर्व में ही हो चुका था परन्तु उनके स्वर्गवास की पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी श्री राकेश सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह द्वारा फर्जी व कूटरचित मुख्तयारनामे के आधार पर श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूपलाल को अपीलाधीन आराजी का बेचान कर दिनांक 19.12.2005 को विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया गया। इस तथ्य की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने हेतु न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या 2, अजमेर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 105/2017 बाबूलाल बनाम नरेश कुमार व अन्य प्रस्तुत किया। उक्त वाद में दिनांक 04.12.2018 को निर्णय व डिक्री पारित की जाकर अपीलाधीन आराजी के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह द्वारा श्री नरेश कुमार के पक्ष में संपादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2005 को शून्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आराजी में श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूपलाल का कोई हक, अधिकार व सरोकार ही नहीं रहा है किन्तु पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं इसी गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं गठित लोढा कमेटी का उल्लेख किया गया है जबकि अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के पश्चात श्री राकेश सिंह द्वारा फर्जी एवं कूटरचित मुख्तयारनामे के आधार पर श्री नरेश कुमार के पक्ष में संपादित पंजीबद्ध विक्रय पत्र दीवानी न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 24.10.18 में वर्णित श्री आर0एम0 लोढा कमेटी से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना सम्पत्ति हस्तांतरण पर रोक होने का उल्लेख किया गया है जबकि प्रश्नगत आराजी का अपीलान्ट के पक्ष में किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं हो रहा है एवं पत्र के संलग्न सूची में वर्णित आराजी का क्रेता श्री नरेश कुमार के पक्ष में संपादित पंजीकृत विक्रय पत्र दीवानी न्यायालय से शून्य घोषित हो चुका है। साथ ही जहां तक लोढा कमेटी का प्रश्न है, वह कमेटी ही अब समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन भूमि से श्री नरेश कुमार का कोई सरोकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच एवं अपीलान्ट को सूचित किये बिना उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के निर्णय/डिक्री की अवमानना करते हुए इसके प्रतिकूल अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की गई है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के पश्चात फर्जी एवं कूटरचित मुख्तयारनामा तैयार कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाये जाने के कारण श्री राकेश सिंह के विरूद्ध आपराधिक कृत्य के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं सक्षम न्यायालय के समक्ष धोखाधड़ी व जालसाजी करने के संदर्भ में आरोपी को दोषी करार देते हुए आपराधिक प्रकरण के अन्तर्गत सजा से दण्डित किया गया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

हमने वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पिता श्री किस्तूरा पुत्र कालू जाति जाट के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। इनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी उद्घोषणा का वाद दायर किया। न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2020 से अपीलान्ट को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर आराजी राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। इस निर्णय की पालना हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि "उक्त खाता खसरे पर हस्तांतरण उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश के तहत गठित के अनुमति/अनापत्ति के बिना रोक है।" इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास पूर्व में ही हो जाने की जानकारी होने पर भी श्री राकेश सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह द्वारा फर्जी व कूटरचित मुख्तयारनामे के आधार पर श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूपलाल को अपीलाधीन आराजी का बेचान करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2005 को पंजीबद्ध करवा लिया गया। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में दीवानी वाद दायर किया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2018 को निर्णय पारित करते हुए उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि पंजीकृत विक्रय पत्र शून्य घोषित हो जाने के कारण अपीलाधीन भूमि से क्रेता श्री नरेश कुमार का कोई सरोकार नहीं रहा है किन्तु सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.12.2018 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील/वाद विचाराधीन होने अथवा नहीं होने के तथ्य पत्रावली पर प्रकट नहीं आये हैं।

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश/पत्र दिनांक 16.12.2021 निरस्त किया जाता है। अपील तहसीलदार, पीसांगन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या 2, अजमेर के निर्णय/डिक्री दिनांक 04.12.2018 के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में अपील अथवा वाद विचाराधीन है अथवा नहीं। यदि जांच में उक्त निर्णय/डिक्री के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील/वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने के तथ्य प्रकट नहीं होते हैं तो यह जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है एवं उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय/डिक्री दिनांक 04.09.2020 की पालना किये जाने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। तहसीलदार पीसांगन को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 05.02.2024 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते